राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना–पत्र संख्या–(1–5) 25, 26, 27, 28 व 29/2016.......... जिला ....अजमेर....................................

उनवान : मैसर्स अर्श विजन, नया बाजार, अजमेर बनाम अपीलीय प्राधिकारी, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** **श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य**	
19/02/2016	अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1227, 1228, 1229, 1230 व 1231/2015/अजमेर में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 25.08.2015 सपठित विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 86, 87, 88, 89 व 90/2015/अजमेर में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 18.11.2015 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें माननीय खण्डपीठ द्वारा प्रकरण में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों के अन्तर्गत वसूल योग्य विवादित राशि की वसूली कार्रवाई स्थगित करते हुए अपीलीय अधिकारी को उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण पर तीन माह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री वी. के. पारीक ने निवेदन किया कि खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 25.08.2015 सपठित आदेश दिनांक 18.11.2015 की पालना में प्रकरण की सुनवाई एवं निस्तारण निर्धारित अवधि में नहीं होने तथा इसमें हो रहे विलम्ब के मद्देनजर प्रकरण दिये गये स्थगन की अवधि अपील निर्णय तक बढ़ाई जावे। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई द्वारा प्रकरण में अपील निर्णय हेतु पूर्व में दी गई समयावधि को बढ़ाये जाने बाबत कोई आपत्ति नहीं की गयी। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना–पत्रों पर उनके विद्वान अभिभाषक एवं विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक को सुनने तथा प्रकरण की विशिष्ठ परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी के प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाकर माननीय कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1227, 1228, 1229, 1230 व 1231/2015/अजमेर में पारित आदेश दिनांक 25.08.2015 सपठित विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 86, 87, 88, 89 व 90/2015/अजमेर में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 18.11.2015 द्वारा दी गई अवधि को प्रत्येक प्रकरण में दिनांक 20.05.2016 तक बढ़ाया जाता है। इस आदेश की एक–एक प्रति अपील पत्रावली संख्या 1227, 1228, 1229, 1230 व 1231/2015/अजमेर में संलग्न की जावे। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं। 19-2-2016 19.02.2016 **सदस्य** **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** **अजमेर**	